न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/122 दायरा दिनांक : 01.11.2021

उनवान

जोधराज आयु 60 साल पुत्र लटूर, जाति धाकड, निवासी पच्चीपला, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज0
.... अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज0
2– सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सारोलाकलॉ जरिये शाखा प्रबन्धक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सारोलाकलॉ, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज0
3– कल्याणी बेवा रामकिशन, जाति धाकड, निवासी खण्डी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज0
4– छीतरलाल पुत्र रामकिशन, जाति धाकड, निवासी खण्डी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज0
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बी. के. मंत्री एवं श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संदीप सक्सैना अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.01.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या 1183/दावा/2015 निर्णय दिनांक 29.11.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर के माल में खाता संख्या नया 109 पुराना 99 के खसरा नम्बर 4 की 6 बीघा, खसरा नम्बर 37 की 4 बीघा 3 बिस्वा आराजी कुल 2 किता की 10 बीघा 3 बिस्वा आराजी स्थित है। वादी व वादी के पिता लटूर ने खातेदार रामकिशन पुत्र कान्हा से ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर के माल की आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.05.1973 को पुराना खसरा नम्बर 60 की 10 बीघा, खसरा नम्बर 70 की 5 बीघा 5 बिस्वा कुल 15 बीघा 5 बिस्वा आराजी खरीद की थी तथा तब से ही खरीददार का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। वादी जोधराज के पिता लटूर की मृत्यु हो चुकी है तथा मृतक लटूर का एक मात्र वारिस वादी जोधराज है तथा उक्त सम्पूर्ण आराजी 15 बीघा 5 बिस्वा पर निरन्तर बिना किसी बाधा के आज दिन तक उक्त आराजी पर वादी जोधराज का कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय दिनांक 29.11.2019 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि मातहत न्यायलय का निर्णय विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुने निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। पत्रावली में दिनांक 28.11.2019 को प्रतिवादी नं. 1 राजस्थान सरकार का जवाब पेश हुआ एवं उसके बाद दूसरे दिन दिनांक 29.11.2019 को बिना वादी की साक्ष्य लिए ही बहस हेतु पत्रावली में तारीख पेशी दी गई तथा दिनांक 29.11.2019 को ही वादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाकर निर्णय पारित कर दिया। जबकि विवादित आराजी को अपीलांट के पिता ने दिनांक 02.05.1973 को रजिस्टर्ड बयनामे से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था, तभी से इस आराजी पर अपीलांट का ही कब्जा चला आ रहा है। जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया तथा बिना तहकीकात किये ही निर्णय पारित कर दिया, जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रिशियस होने से अपास्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर मातहत न्यायलय का निर्णय अपास्त किया जावे एवं मातहत न्यायालय को

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तनकी कायम कर दस्तावेजात रिकार्ड पर लेकर, पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.09.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है, अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी पेश कर दस्तावेज को रेकार्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया।

उक्त उनवान की अपील में अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 राजस्थान सरकार का जवाब दिनांक 28.11.2019 को पेश होने के वाद अपीलान्ट की साक्ष्य लिए बिना ही एक तरफा निर्णय दूसरे दिन दिनांक 29.11.2019 को ही पारित कर दिया है, जिस कारण अपीलान्ट अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज पेश नहीं कर सका है एवं अपना पक्ष नहीं रख सका है जिस कारण प्रार्थना पत्र के साथ खसरा बदोबस्त सम्वत 2019–2021, हाल नक्शा सफाई ट्रेस सन् 1971–1972, नक्शा किश्तवार सन् 1980 मुताबिक सम्वत 1923 व 1924 की प्रतियां पेश की है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि खसरा बदोबस्त, हाल नक्शा ट्रेस एवं सेटलमेन्ट के पूर्व का नक्शा ट्रेस की प्रतियां को रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश फरमाये जावे, कृपा होगी।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया कि –

यह अपील विरुद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के दावा संख्या 1183/ दावा/2015 उनवानी जोधराज बनाम सरकार वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

2. अपीलार्थी द्वारा ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर के साबिक खसरा नं0 60 रकबा 10 बीघा, खसरा नं० 70 रकबा 05 बीघा 5 बिस्वा कुल आराजी किता 2 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा एक रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 03.05.1973 को विक्रेता रामकिशन पुत्र कान्हा धाकड़ से क्रय की थी।

3. अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह दावा किया है कि वर्तमान जमाबंदी में उसके खाते में दर्ज हाल खसरा नम्बर 4 रकबा 6 बीघा व खसरा नम्बर 37 रकबा 4.03 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 10.03 बीघा क्रमशः साबिक खसरा नम्बर 60 रकबा 10 बीघा व खसरा नम्बर 70 रकबा 5.05 बीघा कुल किता दो कुल रकबा 15.05 बीघा से बने हैं । इस प्रकार उसके हाल खसरा नम्बरान के रकबे में साबिक खसरा नम्बरान के रकबे के मुकाबले कमी हो गई है।

4. वादी ने यह दावा किया है कि उसके साबिक व हाल खसरा नम्बरान में भू–प्रबन्ध विभाग ने रकबे में कमी कर दी।

5. वादी ने वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के पक्ष में साबिक/हाल खसरा नम्बरान की प्रमाणित मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित हो सके कि पुराने व नये खसरा नम्बरान के क्षेत्रफल में भिन्नता है।

6 अतः अपील अपूर्ण व सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है।

7 अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि–सम्मत है एवं यथावत रखने योग्य है।

विशेष कथन –

अपीलार्थी द्वारा हाल ख0 नं0 4 रकबा 6 बीघा, ख0 नं0 37 रकबा 4.03 बीघा कुल किता 2 रकबा 10.03 बीघा के साबिक ख0 नं0 60 रकबा 10 बीघा व ख0 नं0 70 रकबा 5.05 कुल किता 2 रकबा 15.05 बीघा बताते हुये हाल खसरा नम्बरान में रकबे की कमी पूर्ति चाही गयी है किन्तु वादी द्वारा अपनी अपील में

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ऐसी कोई प्रमाणिक दस्तोवज जैसे मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रस्तुत नहीं की है जिससे हाल और साबिक ख० नं० का मिलान हो सके। अतः अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी पी सी प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर के वादग्रस्त खसरा नम्बरान की नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 से 2021, वर्तमान नकल नक्शाट्रेस व भू प्रबन्ध से पूर्व सम्वत 1923–24 के नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की हैं। आदेश 41 नियम 27 सी पी सी प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार करते हुए उक्त दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये गये।

प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर की नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 से 2021 में हाल खसरा नम्बरान 4 रकबा 6 बीघा का गत खसरा नम्बर 61 रकबा 0.13 बीघा दर्ज है व हाल खसरा नम्बर 37 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 70 रकबा 5.05 बीघा दर्ज है। अपीलार्थी ने अपील में हाल खसरा नम्बर 4 का साबिक खसरा नम्बर 60 रकबा 10 बीघा बताया है इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज व अपील के तथ्यों में भिन्नता है। इसके अलावा मिलान क्षेत्रफल की नकल भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे हाल व साबिक खसरा नम्बरान का क्षेत्रफल मालुम हो सके।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। आदेश 41 नियम 27 सी पी सी प्रार्थना पत्र में खसरा भू प्रबन्ध सम्वत 2019 से 2021 ग्राम खण्डी की नकल प्रस्तुत की है। उक्त नकल का अवलोकन किया। वर्तमान खसरा नम्बर 4 रकबा 6 बीघा का गत खसरा नम्बर 61 रकबा 0.13 बीघा व वर्तमान खसरा नम्बर 37 रकबा 4.03 बीघा का गत खसरा नम्बर 70 रकबा 5.05 बीघा दर्ज है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में हाल खसरा नम्बर 4 का साबिक खसरा नम्बर 60 रकबा 10 बीघा बताया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व अपील के तथ्यों में भिन्नता है। इसी प्रकार वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत ग्राम खण्डी, तहसील खानपुर के वादग्रस्त खसरा नम्बरान के वर्तमान नकल नक्शाट्रेस व भू प्रबन्ध से पूर्व संवत 1923–24 के नक्शे के अवलोकन से भी अपील में प्रस्तुत दावे की पुष्टि नहीं होती है । अपीलार्थी द्वारा मिलान क्षेत्रफल की नकल भी प्रस्तुत नहीं की है जिससे नये व पुराने खसरा नम्बरान की मय रकबे के पुष्टि हो सके। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/01/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा